

न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमन्द  
(पीठासीन अधिकारी, मोहकम सिंह सिनसिनवार, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या:-69/2016(रे0वाद)

दायर दिनांक:- 20/09/2016

निर्णय दिनांक:- 11/11/2025

अनवान

1. सुरेशदास पिता ब्रदीदास जाति वैरागी निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ व अन्य

---वादीगण

बनाम

1. लक्ष्मणलाल पिता मांगीलाल जाति माली निवासी देवगढ़ जिला राजसमन्द व अन्य

---प्रतिवादीगण

:: निर्णय ::

आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश-22 नियम-04(5) जाप्ता दीवानी सपटीत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 01 लक्ष्मणलाल द्वारा पेश किया। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वर्तान्त इस प्रकार है कि प्रकरण में वादी द्वारा एक घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा एवं कब्जे यापी का प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रतिवादी संख्या 03 डालू का स्वर्गवास दिनांक 06.04.2018 को हो चुका है। जिसके वादी द्वारा अभी तक कोई विधि वारीसान निर्धारित समय 90 से 60 दिन में नहीं बनाये गये है। इसलिये वाद ऐबेट उपसमन (खारीज) किये जाने योग्य है। वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 2 दलु बाई का स्वर्गवास दिनांक 04.10. 2019 को हो चुका है। जिसके वादी द्वारा अभी तक कोई विधि वारीसान निर्धारित समय 90 से 60 दिन में नहीं बनाये गये है। इसलिये वाद ऐबेट उपसमन (खारीज) किये जाने योग्य है। प्रकरण में वादी श्री मनोहर दास एवं हरी दास आदी भी फौत हो चुके है जिसके कायम मुकाम अभी तक वादी ने नहीं बनाये है। इसलिये बिना कायम मुकाम बनाये उक्त वाद चलने योग्य नहीं होकर निरस्ती योग्य है। प्रार्थना पत्र निश्चित न्याय शुल्क पर सादर प्रस्तुत है। अन्य निवेदन वक्त बहस अर्ज किये जायेगे। अतः श्रीमान से निवेदन है कि वाद आदेश 22 नियम 4 (5) तहत खारीज फरमाया जावें ।

उक्त प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र प्रार्थना-पत्र का जबाब



सहायक कलेक्टर  
देवगढ़, जिला राजसमन्द

प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस का निवेदन किया। उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई

1. प्रकरण में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-22 नियम-04(5) के विश्लेषण से पूर्व सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-22 नियम-04(5) से संबंधित कानूनी प्रावधानों का उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में भी विश्लेषण आवश्यक है। सर्वप्रथम सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-22 नियम-04(5) का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:-

(5) Where— (a) the plaintiff was ignorant of the death of a defendant, and could not, for that reason, make an application for the substitution of the legal representative of the defendant under this rule within the period specified in the Limitation Act, 1963 (36 of 1963), and the suit has, in consequence, abated, and

(b) the plaintiff applies after the expiry of the period specified therefore in the Limitation Act, 1963 (36 of 1963), for setting aside the abatement and also for the admission of that application under section 5 of that Act on the ground that he had, by reason of such ignorance, sufficient cause for not making the application with the period specified in the said Act, the Court shall, in considering the application under the said section 5, have due regard to the fact of such ignorance, if proved.]

हमने योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये प्रतिवादी का सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-22 नियम-04(5) के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर दावा वादी खारिज किया जाने का निवेदन किया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी ने प्रतिवादी का सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-22 नियम-04(5) के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया।



107  
सहायक कलेक्टर  
रायगढ़, जिला राजसमन्द

न्यायालय का विचार:-

1. आवश्यक पक्षकार का अभाव- वाद स्वतः अविचारणीय  
मृत प्रतिवादी के कानूनी वारिसों को प्रतिस्थापित करना वादी का दायित्व है। सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-22 नियम-04 के अनुसार आवश्यक पक्षकार के अभाव में वाद आगे नहीं बढ़ सकता तथा वाद स्वयमेव अबेट माना जाएगा।
2. न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ(धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता)  
न्यायालय अवैध, तकनीकी रूप से दोषपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण वाद को समाप्त कर सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश-22 नियम-04(5) जाप्ता दीवानी सपठीत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश आदेश-22 नियम-04(5) जाप्ता दीवानी सपठीत धारा 151 के तहत प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-22 नियम-04(5) जाप्ता दीवानी सपठीत धारा 151 स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को आवश्यक पक्षकार के अभाव एवं विधिक आधारों के अभाव में खारिज किये जाने के आदेश दिए जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 11/11/2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।



21/11/25  
(मोहकम सिंह) सिनसिनवार R.A.S.)  
सहायक कलेक्टर गढ़  
देवागढ़, जिला राजसमन्द